

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-126/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० रवि प्रकाश, दंत चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता, खगडिया को प्रथम संतान के जन्म उपरांत उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-19.04.2024 से 03.05.2024 तक कुल 15(पन्द्रह) दिन को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

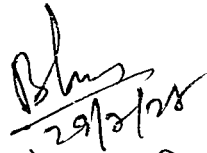
ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-126/2025- 1550(2) पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगडिया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता, खगडिया/कोषागार पदाधिकारी, खगडिया/डा० रवि प्रकाश, दंत चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव